

कार्यालय नगर निगम, सहारनपुर ।

निविदा सूचना

दिनांक : 31-3-15

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नगर निगम, सहारनपुर को मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में विद्युत सामान की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है ।

1- निर्माता कम्पनियां बजाज, एच0पी0एल0, गोल्डविन व उनके द्वारा अधिकृत डीलर जिनको कम्पनी ने इस कार्य/आपूर्ति हेतु अधिकृत किया गया हो, अपनी सीलबन्द निविदा के साथ संलग्न सूची में दरें प्रति नग के अनुसार दिनांक...16.4.15 को सांय 2.00 बजे तक अपर नगर आयुक्त/अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के कक्ष कार्यालय में रखे टैण्डर बॉक्स में डाल सकते हैं । निविदा फार्म दिनांक...16.4.15 को 12.00 बजे तक रिकार्ड रूम अनुभाग, नगर निगम, सहारनपुर/अपर जिलाधिकारी (प्र0) के कक्ष कार्यालय से टैण्डर शुल्क 1100/- एवं बिक्री कर जमा कर क्रय कर सकते हैं । निविदा क्रय करते समय धरोहर राशि 5,00,000/- (पांच लाख रुपये) की एफ0डी0आर0 लेखाधिकारी, नगर निगम, सहारनपुर के नाम बंधक होना अनिवार्य है ।

2- एम0एस0 क्लैम्प नट बोल्ट सहित वजन 1.00 किलोग्राम व जी0आई0 बैंडिड पाईप लम्बाई एक मीटर, सवा इंच मोटाई, वजन 1.250 कि0ग्रा0 की आपूर्ति के लिए कोई भी व्यक्ति/ठेकेदार/फर्म निविदा-पत्र 500/- एवं बिक्री कर जमा कर निविदा क्रय कर सकते हैं । निविदा क्रय करते समय धरोहर राशि 25,000/- रुपये एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में लेखाधिकारी, नगर निगम के नाम बंधक होना अनिवार्य है ।

यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को अवकाश होता है तो निविदा अगले दिन उसी समय दी जा सकती है । निविदा उसी दिन सांय 4.00 बजे अघोहस्ताक्षरी के कक्ष कार्यालय में गठित समिति के समक्ष खोली जायेगी । पत्रावली किसी भी कार्य दिवस में विद्युत अनुभाग, नगर निगम में देखी जा सकती है । निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त महोदय में निहित है । टैण्डर नोटिस को वेबसाईट <http://Saharanpur.nic> पर देख सकते हैं । शर्त निम्न प्रकार है :-

- 1- टैण्डर क्रय करते समय विद्युत सुरक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा "ए" श्रेणी का अनुमोदित लाईसेन्स होना अनिवार्य है ।
- 2- टैण्डर क्रय करते समय यदि टैण्डर निर्माता कम्पनी द्वारा क्रय किया जाता है तो धरोहर राशि नेशनलाईज बैंक द्वारा कम्पनी के खाते से बनी अनिवार्य है ।
- 3- सोडियम लाईटें IP-66 UP 0VWD से अनुमोदित AAA श्रेणी में होना अनिवार्य है ।
- 4- टैण्डर क्रय करते समय कम्पनी द्वारा जारी किया गया अधिकृत डीलरशिप प्रमाण-पत्र, जिनको कम्पनी ने इस कार्य/आपूर्ति हेतु अधिकृत किया हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
- 5- सी0एफ0एल0 टयूब की गारण्टी निगम द्वारा जारी की गई तिथि से 6 माह होगी ।
- 6- सभी सोडियम चौक, हाई मास्क चौक व टयूब चौक की गारण्टी निगम द्वारा जारी की गई तिथि से एक वर्ष होगी ।
- 7- मार्ग प्रकाश व्यवस्था सम्बन्धी आईटमों में एक निविदादाता द्वारा केवल एक ही कम्पनी की दरें निर्गत की जायेगी, एक से अधिक कम्पनी का नाम देने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी ।
- 8- किसी भी आईटम की दरें एम0आर0पी0 से अधिक नहीं होनी चाहिएं । यदि दरें अधिक होती हैं तो समस्त जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता (ठेकेदार) की होगी ।
- 9- निविदा पत्र के साथ 100/- रुपये के स्टॉम्प पर शपथ-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र, पैन नम्बर, व्यापार कर का रजिस्ट्रेशन नम्बर की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा ।
- 10- शर्तें पूरी नहीं करने वाली निविदा एवं सशर्त किसी भी निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा और उसकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी ।

प्रकाश प्रभारी/अभिमान-अभियन्ता,
नगर निगम, सहारनपुर ।
प्रकाश प्रभारी/अवर अभियन्ता
नगर निगम, सहारनपुर ।

प्रतिलिपि :

- 1- नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचना प्रेषित ।
- 2- समस्त अधिकारीगण मार्ग प्रकाश में गठित समिति को उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 3- अपर जिलाधिकारी (प्र0) को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4- सम्पादक, हिन्दी समाचार पत्र...को इस आशय से प्रेषित कि वह उक्त निविदा सूचना को कम से कम स्पेस, 9 न0 फोन्ट में छापकर बिल व समाचार-पत्र की 3 प्रतियां भेजने का कष्ट करें ।
- 5- टैण्डर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
- 6- रिकार्ड कीपर को उपरोक्तानुसार टैण्डर विक्रय करने हेतु ।
- 7- टैण्डर को <http://Saharanpur.nic> पर डालने हेतु ।

प्रकाश प्रभारी/अभिमान-अभियन्ता,
नगर निगम, सहारनपुर ।